उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

पशुधन भवन प्रथम तल मोथरोवाला देहरादून 248001

फोन/फैक्स 0135–2532619 ई–मेल–ceouldb2019@gmail.com

पत्र संख्या – 591/यू.एल. डी.बी./ वाहन नीलाम पत्रा /2024–25/दिनांक 04 जून 2024

सार्वजनिक वाहन नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यू0एल0डी0बी0 मुख्यालय एवं अतिहिमीकृत उत्पादन केन्द्र श्यामपुर ऋषिकेश स्थित निम्न वाहन नीलाम **"जैसा है जहां है "**के आधार पर रजिस्ट्रशन पत्र मे अंकित वाहन के भार के अनुसार अनुमानित स्केप बाजार भाव पर यू0एल0डी0बी0 मुख्यालय पशुधन भवन मोथरोवाला देहरादून–248001 पर **दिनांक 18 जून 2024 की अपरान्ह 12.30 बजे** किया जाना निश्चित हुआ है। नीलामी की अधिक जानकारी के सम्बन्ध मुख्यालय आकर अथवा प्रशासनिक अधिकारी के **मो0न0 7906546077** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

कम संख्या	वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर	मॉडल	वाहन का वजन रजिस्ट्रेशन पत्र के अनुसार	अरनेस्टमनी (₹)	टेण्डर फार्म शुल्क 18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित एवं धरोहर राशि ₹।	स्थान का नाम जहां पर वाहन खडे है।
1	UA07G-9839 (MARUTI VAN)	2004	750 किग्रा.	900.00	टेण्डर शुल्क–118.00 धरोहर राशि –900.00	यू0एल0डी0बी0 मुख्यालय पशुधन भवन मोथरोवाला देहरादून
2	UA07P-4821 (Mahedra-BOLERO SLX)	2006	2200 किग्रा.	2500.00	टेण्डर शुल्क –118.00 धरोहर राशि –2500.00	अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र श्यामपुर ऋषिकेश देहरादून
3	UA07C-7785 (TATA 709E) (LN-2 TANKER)	2003	7000 किग्रा.	8000.00	टेण्डर शुल्क 590.00 धरोहर राशि –8000.00	अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र श्यामपुर ऋषिकेश देहरादून
4	UA07R-9974 (TATA-1109EX) (LN-2 TANKER)	2007	11900 किग्रा.	14000.00	टेण्डर शुल्क –590.00 धरोहर राशि –14000.00	अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र श्यामपुर ऋषिकेश देहरादून

उपरोक्त वाहनो के सीलबन्द भाव के टेण्डर **दि0 18 जून 2024 की पूर्वान्ह 11.30 बजे तक** आमन्त्रित करते हुये टेण्डर बॉक्स मे डाले जायेगे जिनको उसी **दिन अपरान्ह 12.30 बजे** विकय समिति के समक्ष खोले जायेगे। इसके साथ ही यह भी सूचित होंवे कि अंकित भाव कार्यालय से कय किये गये टेण्डर फार्म पर ही स्वीकार्य होगा। इसके साथ ही टेण्डर द्वारा प्राप्त भाव न्यूनतम् पाये जाने पर विकय समिति को उन टेण्डर दाताओं जिनके द्वारा कार्यालय से कय किये टेण्डर फार्म पर भाव अंकित कर टेण्डर बॉक्स मे डाले गये है उन्हीं से राजकीय हित मे राजस्व अधिक मिलने की सम्भावना को देखते हुये खुली बोली करायी जा सकती है जिसमे किसी टेण्डर दाता का कोई ऐतराज स्वीकार नही होगा।

कमशः 02 पर

मुख्य अधिशासी अधिकारी
उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड
देहरादून

नीलामी शर्ते:—"

1— निष्प्रोज्य वाहन "**जैसा है जहां है** "के आधार पर नीलाम किये जायेगे ।

2— टेण्डर के भाव स्वीकृत होने पर कुल भाव राशि का **25 प्रतिशत** धनराशि तत्काल नकद रूप से कार्यालय मेजमा करानी होगी जिसकी प्राप्ती रसीद कार्यालय द्वारा टेण्डरदाता/बोलीदाता को प्रदत्त की जायेगी तथा शेष राशि नीलामी की तिथि से **आगामी 05 दिवस** के भीतर जमा करायी जानी आवश्यक है इसके साथ ही नीलाम किये गये वाहन को स्वंय के व्यय पर प्रक्षेत्र/कार्यालय से बाहर निकालना आवश्यकीय होगा, समय पर अवशेष राशि जमा न किये जाने की दशा मे राजकीय हित मे जमा अरनेस्ट मनी एवं 25 प्रतिशत जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी जिसमे टेण्डरदाता/बोली दाता का किसी प्रकार का ऐतराज मान्य नही होगा ।

3— नीलामी स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं तिथि बढ़ाने का अधिकार विक्रय समिति/अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा इसमे प्रकार का विवाद होने पर मुख्य अधिशासी अधिकारी यू0एल0डी0बी0 मुख्यालय का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा ।

4— प्रत्येक निष्प्रोज्य वाहन का टेण्डर फार्म अलग—अलग क्रय करते हुये प्रत्येक वाहन के सापेक्ष अरनेस्टमनी नगद/अथवा ड्राफ्ट (जो यू.एल.डी.बी.के नाम देहरादून मे देय हो)रूप से उक्तानुसार कार्यालय मे जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

5— टेण्डर फार्म **दिनांक 18 जून 2024 की पूर्वान्ह 11.30 बजे** तक उक्तानुसार भुगतान पर प्राप्त किये जा सकते है ।

6— सील बन्द टेण्डर भाव उचित प्रतीत न होने की दशा मे विक्रय समिति का अधिकार सुरक्षित होगा कि जिन टेण्डरदाताओ द्वारा टेण्डर डाले गये है उन्ही से राजकीय हित मे राजस्व अधिक मिलने की सम्भावना को देखते हुये खुली बोली करायी जा सकती है जिसमे किसी टेण्डरदाता का कोई ऐतराज मान्य नही होगा।

7— नीलाम किये वाहन के कुल स्वीकृत भाव पर जी0एस0टी0 नियमानुसार टेण्डरदाता/बोलीदाता को अतिरिक्त देना होगा।

8— नीलाम किये जाने वाले उक्त वाहनो को किसी भी कार्य दिवस मे उक्तानुसार आकर देखा जा सकता है।

9— निष्प्रोज्य वाहन का नीलाम रजिस्ट्रेशन पत्र मे अंकित वजन/अनुमानित भार (स्क्रेप) के अनुमानित बाजार भाव के अनुसार किया जायेगा ।

10— निष्प्रोज्य उक्त संदर्भित वाहनो का नीलाम स्क्रेप के रूप ही किया जायेगा जिसका चालन करना पूर्ण अवैध/प्रतिबन्धित होगातथा नीलाम किये गये वाहनो के साथ रजिस्ट्रेशन पत्र (आर0सी0) नही दी जायेगी। यदि स्वीकृत भाव टेण्डर दाता उक्त निष्प्रोज्य नीलाम किये गये वाहन का अवैध रूप से चालन करता है उसके सम्बन्ध मे जो भी जोखिम होगी उसका वहन वह स्वंय करेगा जिसमे इस कार्यालय को कोई उत्तरदायित्व नही होगा ।

11— नीलामी के समय मुख्यालय के अन्दर किसी प्रकार का असलाह एवं हथियार लाना पूर्ण रूप से निषेध रहेगा। यदि किसी के पास उक्त सामग्री पायी जाती है तो उसकी सूचना विभाग द्वारा तत्काल पुलिस को दे दी जायेगी जिसके विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जा सकती है ।

12— नीलामी के समय टेण्डर दाताओं का उपस्थित होना आवश्यक है। यदि अनुपस्थित टेण्डर दाता के भाव उच्च प्राप्त होते है उससे दूरभाष पर सम्पर्क न होने की दशा मे उसको निरस्त करते हुये द्वितीय भाव वाले उपस्थित टेण्डरदाता को नीलामी का अवसर प्रदान किया जायेगा जिसमे प्रथम अधिक भाव वाले अनुपस्थित टेण्डर दाता का किसी प्रकार का ऐतराज मान्य नही होगा।

क्रमशः 03 पर

मुख्य अधिशासी अधिकारी
उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड
देहरादून

13– टेण्डर फार्म किसी भी कार्य दिवस मे स्वंय या प्रतिनिधि के माध्यम से नियत तिथि/समय पर कय किये जा सकते है ।

14– वाहन के वजन के सम्बन्ध मे जानकारी यू0एल0डी0बी0 मुख्यालय से किसी भी कार्य दिवस मे प्राप्त की जा सकती है बाद मे इस सम्बन्ध मे किसी प्रकार का ऐतराज मान्य नही होगा।

15– शर्तो मे किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसमे संशोधन करने का अधिकारी अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा

(डा0 राकेश सिंह नेगी)
मुख्य अधिशासी अधिकारी

पत्रांक 591 / वाहन नीलाम पत्रा0 /2024–25/ दिनांक 04 जून 2024

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– श्री जी0सी0 बमोला, प्रधान सहायक /भण्डार पालक को इस निर्देश के साथ कि नीलामी की तिथि से पूर्व सूचना पत्र मे कम संख्या–01 पर उल्लेखित वाहन को व्यवस्थित करते हुये नीलामी के समय सहयोग हेतु उपस्थित रहना सुनिश्चित करे।

2– श्री माधवानन्द सहायक लेखाकार हीफर रियरिंग फार्म पशुलोक को इस निर्देश के साथ कि नीलामी की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे ।

3– डा0 अशीम देब अपर प्रन्धक अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र श्यामपुर ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार नियत समय एवं तिथि पर यू0एल0डी0बी0 मुख्यालय मे पहुंचकर नीलामी प्रकिया सम्पन्न कराना सुनिश्चित करे।

4– परियोजना निदेशक हीफर रियरिंग फार्म को सूचनार्थ प्रेषित ।

5– उप जिलाधिकारी सदर देहरादून ।

6– थानाध्यक्ष , नेहरू कॉलोनी देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि संदर्भित तिथि को शान्ति व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

7– सम्भागीय परिवहन अधिकारी देहरादून ।

8– निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।

9– डा0जी0डी0जोशी सयुक्त निदेशक (यू.एल.डी.बी. प्रशि0 केन्द्र)/अध्यक्ष–नीलाम कमेटी यू0एल0डी0बी0 देहरादून, डा0आर0पी0 शुक्ला प0चि0अ0ग्रेड–1(सदस्य–नीलाम कमेटी यू.एल.डी.बी.),अतिहिमीकृतवीर्य उत्पादन केन्द्र श्यामपुर ऋषिकेश एवं श्री माधवानन्द सहायक लेखाकार (सदस्य नीलाम कमेटीयू.एल.डी.बी.) हीफर रियरिंग फार्म पशुलोक को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार नीलामी प्रकिया नियत समय/तिथि पर पहुंचकर कराना सुनिश्चित करे ।

8– अपर प्रबन्धक, यू0एल0डी0बी0 सीमन बैंक लाल कुऑ नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित ।

9– वरिष्ठ वित्त अधिकारी निदेशालय पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त **तिथि 18 जून 2024** को उक्तानुसार स्वंय अथवा अपने नामित प्रतिनिधि को नीलामी प्रकिया मे प्रतिभाग करने के सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे ।

10– (डाक से) मैसर्स /श्री नाम से को उक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित ।

11– श्री प्रमोद बिष्ट वरिष्ठ सहायक/लेखाकार यू0एल0डी0बी0 मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त वाहनो से सम्बन्धित टेण्डर फार्म प्रशासनिक अधिकारी से प्राप्त कर समय से विक्रय करना सुनिश्चित करे।

12– नोटिस बोर्ड , यू0एल0डी0बी0मुख्यालय , डी0एफ0एस0श्यामपुर ऋषिकेश ,निदेशालय पशुपालन देहरादून ।

4/6/24

(डा0 राकेश सिंह नेगी)
मुख्य अधिशासी अधिकारी